उपस्थिति – श्री गौरी शंकर

न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 – 769/2024

विनोद कुमार पाठक .....वादी।

बनाम्

नित्यानंद पाठक वगै0 .....प्रतिवादीगण।

आदेश

19.03.2026 वादी की पैरवी है। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता वादी के तरफ से दिनांक 12.01.2026 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 दफा 151 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये यह कथन करते है कि प्रस्तुत वाद वादी ने निलामी सुदा ऐराजी पर हकीयत घोषित करने एवं केबाला दिनांक 14.04.2024 निस्वत जमीमा नं0 02 को बिना अधिकार के शून्य घाषित करने के लिए किया है लेकिन प्रतिवादी नं0 02 नित्यानंद पाठक एवं प्रतिवादी सं0 1 श्रीराम पाठक ने सीता देवी को 07 लाख रूपये में नुमाईशी केबाला बिना अधिकार के तहरीर किये है जो सब्सीक्युवेन्ट इवेन्ट है इसलिए अर्जी में निम्न संशोधन न्यायहित में आवश्यक है।अनुरोध करते है कि वादी का संशोधन आवेदन महज औपचारिक प्रकृति का है जिससे मुकदमा स्वरूप नहीं नहीं बदलता है अतः अर्जी में संशोधन करने का आदेश दिया जाय।

प्रतिवादी को प्रतिउतर दाखिल करने हेतु कई अवसर दिए गए किन्तु प्रतिवादी द्वारा आज तक कोई प्रतिउतर दाखिल नही किया गया। अतः प्रतिवादी को उक्त आवेदन पर प्रतिउतर दाखिल करने से वंचीत किया जाता है।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। प्रतिवादी को उक्त आवेदन पर प्रतिउतर दाखिल करने से वंचीत किया गया है। वादी का संशोधन आवेदन महज औपचारिक प्रकृति का है। जिससे वाद की स्वरूप पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है। अतः वादी के तरफ से दिनांक 12.01.2026 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 दफा 151 सी0पी0सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा सीता देवी को प्रतिवादी सं0 5 के रूप में पक्षकार बनाया जाता है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को निदेर्शित किया जाता है कि कार्यालय लिपिक के समक्ष आवदेन के अनुसार अर्जी में संशोधन करें और प्रतिवादी सं0 5 के उपस्थिति हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

दिनांक– 16.04.2026 वास्ते शेष उपस्थिति एवं अपेक्षिकाऍ दाखिल करने हेतू।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)